न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –197 / 2022

उनवान

सुमेर दत्तक पुत्र भरोसी जाति मीना निवासी नाहरखोहरा तह0 सिकराय जिला दौसा।

बनाम

वादीगण

बनाम

1. उम्मेद
2. रामेश्वर
3. कैलाशी

   पि0 देवाराम जाति मीना निवासी नाहरखोहर्रा तह0 सिकराय जिला दौसा।
4. राजन्ती
5. गुलाब
6. रामपति
7. मनीराम

   पि0 नारायण समस्त जाति मीना निवासी सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा।
8. एस.बी.आई. शाखा, सिकराय जरिये शाखा प्रबंधक, जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय।

प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा अ0धा0 88 आर0टी0ए0

वादीगण की ओर से श्री भारतेष शर्मा एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 10/2/26

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि भूमि आराजी खसरा नंबर 216, 331, 332, 333, 344, 388, 390, 391, 785, 832 वाके रामा नाहरखोहरा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

वर्णित भूमि के 1/3 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार भरोसी पुत्र देवा जाति मीना निवासी नोहरखोहरा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था तथा जो वादी का दत्तक पिता व प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 का सगा भाई था, जिसकी मृत्यू दिनांक 25.01.2019 को हो चुकी है जो नाऔलाद व अविवाहित फौत हुआ था। साथ ही मृतक भरोसी ने अपने जीवनकाल में ही अपने बडे भाई उम्मेद के छोटे पुत्र सुमेर को दिनांक 29.05.2010 को दत्तक ले लिया था तब से ही सुमेर अपने दत्तक पिता भरोसी की सारी चल अचल संपत्ति की देखभाल करता चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त सुमेर ने ही भरोसी की मृत्यू उपरांत सारे कियाकर्म आदि विधिवत संपन्न किए थे। प्रतिवादी संख्या 2 को सुमेर के दत्तक पुत्र होने की पूर्व से ही जानकारी है तथा सुमेर ही अपने दत्तक पिता भरोसी के पैरा नंबर 01 में वर्णित समस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त होकर लाभांवित होता चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार कर वाद वर्णित भूमि मं से भरोसी पुत्र देवाराम के नाऔलाद फौत होने से वादी दत्तक पुत्र भरोसी है। इसलिए वादी को मृतक भरोसी के हिस्से 1/3 की भूमि को काश्त करने की उदघोषणा वादी के हक में की जावे। साथ ही अलग से वादी के नाम भरोसी पुत्र देवाराम के हिस्से 1/3 भूमि का नामांतकरण खोले जाने के राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्ड इंद्राज किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि मृतक भरोसी पुत्र देवाराम ने अपने जीवनकाल में ही वादी को गोद लिया था लेकिन भरोसी की मृत्यू उपरांत प्रतिवादी के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है इसलिए दत्तक पुत्र होने के कारण भरोसी पुत्र देवाराम के हिस्से की भूमि की उदघोषणा वादी के हक में की जावे। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया है एवं वादपत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में भरोसी का मृत्यू प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, गोदपत्र प्रदर्श 2 पेश किया है। गोदपत्र किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत गोदपत्र नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मृतक भरोसी पुत्र देवाराम के अविवाहित फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण मृतक भरोसी के विधिक वारिसों के नाम नामान्तकरण संख्या 125 दिनांक 20.07.2021 को दर्ज हो चुका है। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में केवल नोटरी लिखावट गोदपत्र प्रदर्श 2 पेश किया है जो कि किसी भी सक्षम स्तर से पंजीकृत नहीं है। वादी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि व़ादी ही मृतक भरोसी का एकमात्र वारिस हो। तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि मे मृतक भरोसी की हिस्से की भूमि का नामांतकरण भी विधिक वारिसान के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (जिला दौसा)

किया जा चुका है। वादी यह साबित नहीं कर पाया है कि वादी ही भरोसी का एकमात्र वारिस हो। इसलिए वादी अपने वादपत्र को साबित करने मे पूर्णतया असफल रहा है।

अतः दावा वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)

हस्ताक्षर मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी

सिकराय जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी सिकराय